सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत सूचना

मद सं0	प्रावधान	विवरण
4ख i	संगठन के कर्त्तव्य एवं कार्यों का विवरण	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनपीटीआई) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास के लिए एक पंजीकृत राष्ट्रीय शीर्ष निकाय है । इसका अपना निगमित कार्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित है । राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आंचलिक संस्थानों के माध्यम से जिनमें नैवेली (तमिलनाडु), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बदरपुर (नई दिल्ली), नागपुर (महाराष्ट्र) और गुवाहाटी (असम) और विशेषीकृत केन्द्र जैसेकि विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान (पीएसटीआई) एवं हॉट लाइन प्रशिक्षण केन्द्र (एचएलटीसी) बेंगलुरू मे प्रचालन किया जा रहा है। इसके साथ उच्च प्रबंधन और विद्युत अध्ययन केंन्द्र (कैम्प्स)-फरीदाबाद (हरियाणा), में अवस्थित है । भारत सरकार ने रूपये 14.75 करोड़ की लागत से नंगल में एक हाइड्रो पावर केन्द्र की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, तथा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है । भारतीय विद्युत तथा इसे जुड़े ऊर्जा क्षेत्रों में उनके थर्मल हाइड्रो एवं न्यूक्लियर पावर संयंत्रों पारेषण एवं वितरण प्रणालियों तथा ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन विषयों पर विभिन्न तकनीकी पाठयक्रमों के साथ प्रबंधन पर अत्यधिक विश्व-स्तरीय उच्च तकनीक की अवसंरचनात्मक सुविधाओं से एनपीटीआई के सभी संस्थान सुसज्जित हैं । एनपीटीआई पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा विशिष्ट तकनीक अंतरापृष्ठ के साथ प्रशिक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक विशेषज्ञताएं प्रदान कर रहा है ।

		अपनी स्थापना से अब तक एनपीटीआई ने इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्तरों पर लगभग 1,85,000 से भी अधिक विद्युत व्यावसायियों को दक्ष किया है, इसके अतिरिक्त, देश में विद्युत के निरंतर विकास के लिए ऊर्जा, संरक्षण, विद्युत-क्षेत्र सुधार, विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा-पर्यावरण लिंकेज तथा जल विद्युत इत्यादि पर जन-शिक्षा कार्यक्रमों में 1,47,000 व्यक्तियों को जागरूक किया है । संगठन के प्राथमिक उददेश्य : • प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय संगठन के रूप में इन क्षेत्रों में काम करना : (क) विद्युत केन्द्रों का संचालन तथा रख-रखाव, और (ख) पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण सहित विद्युत प्रणाली के अन्य सभी पहलू • देश में विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ तथा समन्वय करने के लिए शीर्ष निकायों के रूप में कार्य करना । • विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों, ऑपरेटरों, तकनीशियनों तथा अन्य कार्मिकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना एवं उन्हें चलाना ।
4 ख ii	संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं शक्तियां	एनपीटीआई के कार्य शासी-परिषद द्वारा प्रबंधित, प्रशासित, निर्देशित तथा नियंत्रित किए जाते हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव, विद्युत मंत्रालय हैं । **शासी-परिषद के अध्यक्ष की शक्तियां :** (1) अध्यक्ष, सोसाइटी के कार्य तथा प्रगति की आवधिक समीक्षा या सोसाइटी से संबंधित मामलों की किसी भी प्रकार की जानकारी के प्राधिकारी हैं तथा उन पर आवश्यक विचार या उन्हें पारित कर सकते हैं । (2) अध्यक्ष, वित्त, व्यय से जुड़े किसी भी मामले में

		निर्णय लेने से पहले वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि से परामर्श ले सकते हैं । **केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश :** (क) सोसाइटी कार्यों के निवर्हन में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई नीति के अनुदेशों को दिशा-निर्देशित करेगी । (ख) अगर सोसाइटी तथा केन्द्रीय सरकार के बीच कोई भी विवाद उठता है कि यह प्रश्न नीति का है या नहीं इसमें भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा । (ग) उस स्थिति में जब वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा शासी परिषद के अध्यक्ष के बीच किसी वित्तीय मामले में असहमति होती है तो मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री तथा वित्त मंत्री को मामले को निर्णय के लिए भेजा जाता है । **महानिदेशक** 1. शासी परिषद के निदेश तथा निर्देशन के अंतर्गत सोसाइटी के कार्यों के नियमित/उचित प्रशासन के लिए महानिदेशक, सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिम्मेदार है । 2; महानिदेशक सोसाइटी के सभी अधिकारियोंएवं कर्मचारियों के कर्तव्यों को विनिर्धारित करेंगे तथा इन नियमों एवं विनियमों के अनुसार आवश्यक पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण के लिए शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 3. महानिदेशक सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली सभी प्रशिक्षण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए समन्वय एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे । 4. महानिदेशक, शासी परिषद के अध्यक्ष के निर्देशन,

		अधीक्षण तथा नियंत्रण में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। 5. महानिदेशक वाद ला सकते हैं और उनके खिलाफ वाद लाया जा सकता है, जहां-कहीं अपेक्षित हों वे अदालत में स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होंगे और वह ही सभी विधिक मुद्दों को देखने वाले व्यक्ति होंगे । **प्रधान निदेशक** • प्रधान निदेशक, सोसाइटी के संस्थानों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्यों को विनिर्धारित करेंगे तथा पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक नियंत्रण जहां भी आवश्यक हो, इन नियमों व विनियमों का प्रयोग करेंगे । • प्रधान निदेशक, सोसाइटी के संस्थानों की सभी प्रशिक्षण एवं अन्य क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करते हुए समन्वय करेंगे। • प्रधान निदेशक, महानिदेशक के निर्देशन उनकी देख-रेख तथा नियंत्रण में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।
4 ख iii	पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्य विधि	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनपीटीआई स्थापना विद्युत क्षेत्र में मानव संसाधन (एचआरडी) के लिए एक स्वायत्त शीर्ष निकाय के रूप में की गई है जोकि केन्द्रीय सरकार के सभी नियमों एवं उनमें यथोचित परिवर्तनों का अनुपालन करती है । एनपीटीआई के कार्य, अध्यक्ष शासी परिषद विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रबंधित, प्रशासित निर्देशित तथा नियंत्रित किए जाते हैं । एनपीटीआई के खाते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार सी एंड एजी द्वारा वार्षिक रूप से परीक्षित किए जाते हैं जोकि भारत सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत हैं। लेखापरीक्षा, प्राधिकारी

		द्वारा एनपीटीआई के लेखों की लेखापरीक्षा के साथ प्रमाणित करने पर प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यों उन्हें प्रदत्त शक्तियों सहित वरिष्ठ अधिकारों के प्रति जवाबदेह हैं ।
4ख iv	इन कार्यों के निवर्हन के लिए स्थापित किए गए मानक	एनपीटीआई संगम-ज्ञापन की परिधि में आए नियम एवं विनियमों तथा उक्त विधि के साथ अपने कार्यों का निवर्हन करती है । सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार सरकार के कार्मिक के सेवा शर्तों के विनियमन सोसाइटी के नियम एवं विनियमों के अनुसार एनपीटीआईके कर्मचारियों पर लागू होते हैं।
4 ख v	कार्यों के निवर्हन के लिए रखे गए नियम, विनियम अनुदेश मैनुअल तथा रिकार्ड या उनके नियंत्रण में इनके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए गए	संगम ज्ञापन नियम एवं विनियम उपविधि पैटस (भर्ती) नियम, 1988 तथा सेवा नियम 1988 की शर्तें (जोकि दिनांक 1.4.1993 को एनपीटीआई द्वारा अंगीकार किए गए) जो समय-समय संशोधित किए गए इनका प्रयोग कार्यों के निवर्हन में किया जाता है । संस्थान को दिनांक 6.2.2003 से आईएसओ 9001:2000 प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं जो आरवीए द्वारा प्रत्यायित तथा डीएवी नार्वे द्वारा सत्यापित है इसके साथ नीदरलैंड से आईएसओ 14001 फोरम डेट नार्स्के वर्टिस (डीएनवी) नार्वे भी प्राप्त हैं । (अनुबंध "क") पर प्रति संलग्न है ।
4ख vi	दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो रखी गई या इनके नियंत्रण में हैं	क) संगम ज्ञापन तथा नियम एवं विनियम । ख) उप-विधि । ग) पैटस (भर्ती) नियम 1988 तथा एनपीटीआई द्वारा अंगीकृत सेवा नियम 1988 की शर्तें । घ) सोसाइटियों का रजिस्ट्रार कार्यालय हरियाणा चंडीगढ द्वारा जारी एनपीटीआई का पंजीकरण प्रमाण-पत्र । ड.) आईएसओ 9001:2000 प्रमाण-पत्र ।

		च) आईएसओ 14001 प्रमाण-पत्र ।
4ख-vii	इसकी नीति या क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विद्यमान किसी भी व्यवस्था के साथ सार्वजनिक सदस्य द्वारा अभ्यावेदन का विवरण	संस्थान द्वारा एक नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जिसमें उपलब्ध सभी सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक के स्तर के अधिकारियों को उनकी सामान्य डयूटी के कर्त्तव्यों के अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी बनाया गया है । उनका नाम एवं फोन नम्बर उनसे संपर्क के पते के साथ सभी क्षेत्रीय संस्थानों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है ।
4-खviii	दो या इससे अधिक व्यक्तियों की संख्या में गठित बोर्ड परिषद समितियों तथा अन्य निकाय के किसी उददेश्य से बनाए गए हैं । इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की सार्वजनिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं या इनके कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से सुलभ होते हैं ।	संस्थान के क्रियाकलापों को प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है - क) एनपीटीआई की महासभा ख) एनपीटीआई की शासी परिषद ग) शासी परिषद एनपीटीआई की स्थायी समिति घ) क्षेत्रीय संस्थानों की प्रबंध परिषद ड.) एमबीए, बी.टैक पाठयक्रमों के लिए सलाहकार परिषद
4ख- ix	इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	एनपीटीआई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका अनुबंध-ख पर संलग्न है
4ख x	इसके विनियमों में उपलब्ध क्षतिपूर्ति/प्रतिपूर्ति की प्रणाली सहित इसके प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	संस्थान के कर्मचारियों के वेतनमान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष वेतनमानों के अनुसार नियत किए गए हैं । एनपीटीआई में इनके कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्तों में संशोधन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही स्वीकार्य है । इसके अधिकारयों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे पारिश्रमिक का ब्यौरा अनुबंध-ग पर संलग्न है।
4ख xi	प्रत्येक अभिकरण/एजेंसी को बजट आवंटन किया जाता है जो सभी योजनाओं का विवरण प्रस्तावित व्यय तथा संवितरण पर बनाई गई रिपोर्टों को संकेतिक करता है ।	एनपीटीआई की विभिन्न इकाइयों की आवंटित बजट अनुबंध -घ पर संलग्न किया गया है ।
4ख xii	आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा इन	भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी कार्यक्रम का आयोजन तथा क्रियान्वयन संस्थान द्वारा किया

	कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा	जाता है।
4ख xiii	इनके द्वारा प्रदत्त प्राधिकार या रियायत परमिट के प्राप्तकर्ता का विवरण	लागू नहीं
4ख xiv	उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरा या इनके द्वारा इलैक्ट्रानिक फोरम में कम की गई सामग्री को रोके रखना	एनपीटीआई ने अपनी सुविधाओं को वेबसाइट पर प्रदर्शित किया है तथा अपनी विशेषताओं को भी वेबसाइट पर दर्शाया है । प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूरा विवरण, वार्षिक रिपोर्टों, नागरिक चार्टर, आम जनता के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ।
4ख xv	पुस्तकालय रीडिंग रूम के कार्य घंटों सहित सूचना प्राप्त करने के लिए आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, अगर आम जनता के प्रयोग के लिए रखा जा रहा है ।	सभी सुविधाओं तथा विशेषताओं का ब्यौरा एनपीटीइआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है । वेबसाइट का पता :http/npti.nic.in है । पुस्तकालय/रीडिंग रूम का प्रयोग केवल प्रशिक्षार्णियों/विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है, यह आम जनता के लिए नहीं है ।
4ख xvi	जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण	श्री एस. के. चौधरी प्रधान निदेशक (एमएस) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121003 दूरभाष कार्यालय - 0129-2270949(टेलीफेक्स) ई-मेल आईडी- skchoudary@npti.in
4ख xvii	विनिर्धारित कोई अन्य सूचना (अपीलीय प्राधिकारी)	एनपीटीआई के ग्रुप-ए एवं बी कर्मचारियों के लिए सचिव, विद्युत मंत्रालय अपीलीय प्राधिकारी तथा ग्रुप सी एवं डी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए महानिदेशक, एनपीटीआई अपीलीय प्राधिकारी हैं ।